न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 38/2012 (राजसमन्द डिक्री)

1. श्री चारभुजा जी स्थान देह जरिये पुजारी श्री भंवरदास, बंशीदास, मिठुदास पिता भैरूदास जी वैरागी निवासी गादरोला तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)
2. रावत प्रभु प्रकाशसिंह पिता गोविन्द सिंह जी चुण्डावत (राजपूत) निवासी आमेट तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री हमेर पिता नाथू जी गुर्जर निवासी गादरोला तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्री कालू पिता नाथू जी गुर्जर निवासी गादरोला तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)
3. श्रीमती सीता बेवा गेरू जी गुर्जर निवासी गादरोला तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)
4. गंगा पुत्री गेरू जी नाबालिग बविलायत माता श्रीमती सीता बेवा गेरू जी गुर्जर निवासी गादरोला तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)
5. सुन्दर पुत्री गेरू जी नाबालिग बविलायत माता श्रीमती सीता बेवा गेरू जी गुर्जर निवासी गादरोला तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)
6. सोनू पुत्री गेरू जी नाबालिग बविलायत माता श्रीमती सीता बेवा गेरू जी गुर्जर निवासी गादरोला तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)
7. श्री शंकर पुत्र गेरू जी नाबालिग बविलायत माता श्रीमती सीता बेवा गेरू जी गुर्जर निवासी गादरोला तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)
8. मु. जमु पत्नी नाथू जी गुर्जर निवासी गादरोला तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)
9. **स्वर्गीय रूपा पिता चमना जी बलाई के बजाय :–**

   9/1– श्री कैलाश पिता स्व. रूपा जी बलाई

   9/2– श्री शंकर पिता स्व. रूपा जी बलाई

9/3– श्री मांगू पिता स्व. रूपा जी बलाई

सभी निवासीयान गादरोला तहसील आमेट जिला राजसमन्द

9/4– श्रीमती नेनू पुत्री स्व. रूपा जी बलाई पत्नी हेमा जी बलाई निवासी दोवड़ा तहसील आमेट जिला राजसमन्द

9/5– श्रीमती भीरू पुत्री स्व. रूपा जी पत्नी गोकल जी बलाई निवासी गुगली तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)

9/6– श्रीमती चन्द्री पत्नी रूपा जी बलाई निवासी गोदरोला तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)

10. श्री राज्य जरिये तहसीलदार आमेट जिला राजसमन्द

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी आमेट दिनांक 17–3–2016 प्रकरण संख्या 08/2012 वाद

————/————

1– श्री डी.एस. चुण्डावत अभिभाषक अपीलान्ट्स

2– श्री मुकेश देवपुरा अभिभाषक रेस्पो0 सं. 1 से 8

3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या–10

————/————

निर्णय **दिनांक 16–11–2017**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध धारा–88, 183, 188 व 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का वाद पेश कर ग्राम गादरोला की विवादित आराजीयात वादपत्र की कलम संख्या–1 कुल किता–9 रकबा 1 हैक्टर को तत्कालीन जागीरदार एवं परिजनों द्वारा मंदिर चारभुजा जी को भेंट करने के बाद उस मंदिर के पुजारी वादी संख्या–1 के वर्णित अनुसार है, उक्त भूमि मंदिर की खुदकाश्त की भूमि थी। जिसे प्रतिवादी संख्या–1 से 8 के पूर्वजों को ठेका काश्त पर भूमि दी गई थी, परन्तु वे उक्त भूमि की प्रकृति बदल रहे है तथा भूमियां अपने नाम दर्ज

कराकर उसे खुर्द–बुर्द करना चाहते है। अतएव उनकी उप–कृषक प्रविष्टी को हटाते हुए स्थाई निषेधाज्ञा दिलवाई जाय।

प्रकरण में प्रतिवादीगण की और से अधिवक्ता ने आदेश–1, नियम–8 की पालना किये बिना वाद प्रस्तुत कर दिये जाने के कारण वाद को आदेश–7, नियम–11 के तहत खारिज किये जाने का निवेदन किया जिस पर वादी द्वारा खण्डन का जवाब दिया गया।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद उक्त आवेदन पर दिनांक 17–3–2016 को निर्णय पारित करते हुए वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर वादी अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 12–5–2016 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 8 की और से अधिवक्ता श्री मुकेश देवपुरा ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 के वारिसान की और से अधिवक्ता श्री मुकेश गोड का वकालत पत्र पेश हुआ, पर उन्होंने दौराने बहस उपस्थिति नहीं दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–10 सरकार की और से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए जिन्होंने गुणावगुण आधार पर निर्णय किये जाने की प्रार्थना की।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने की प्रार्थना की, वहीं अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजरात यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। भूमियां मंदिर की खुदकाश्त की है। मंदिर मूर्ति के हितों की रक्षा नाबालिग होने के कारण वादी द्वारा यह वाद पेश किया गया है। जिसमें आदेश–1, नियम–8 की पालना की प्रथम दृष्टया आवश्यकता नहीं थी तथा यदि आवश्यकता मानी भी जाय, तो भी उसकी पालना करवाकर नाबालिग के हितों की रक्षा करवाई जानी चाहिये थी, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश–1,

नियम–8 जाब्ता दीवानी की अनुपालना के कारण आदेश–7, नियम–11 जाब्ता दीवानी में वाद ही खारिज नही किया। अपितु प्रतिवादीगण रेस्पोन्डेन्ट की प्रविष्टी को बिना विधिक विवेचन पुष्ट भी कर दिया।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा शास्वत नाबालिग मंदिर मूर्ति के हितों की रक्षा के लिए अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा वाद में आदेश–1, नियम–8 जाब्ता दीवानी की पालना वांछनीय नहीं होने के बावजूद तथा तहसीलदार अथवा देवस्थान विभाग को भी संरक्षक मनोनित कर प्रकरण का निस्तारण विधि पूर्वक करने के स्थान पर अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीरों को नजर–अन्दाज करते हुए आदेश–7, नियम–11 के तहत वाद खारिज करने में तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन के साथ ही बिना विधिक विवेचन प्रतिवादीगणों के उप–काश्तकार की प्रविष्ठि की भी पुष्टि की है, जो भी त्रुटिपूर्ण है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए जवाबदावा लेकर प्रकरण में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए पुनः निर्णय पारित करें। पक्षकारान आधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 18–1–2018 को उपस्थित होवें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16–11–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम .....
उदयपुर व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

श्री बद्रीलाल उर्फ बदरी पिता गणेश जी ढोली निवासी मारकड़ा तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)
अन्य–1

बनाम

श्री हिम्मतलाल पिता स्व.शांति लाल जी महाजन निवासी माकरड़ा हाल नि0 रेल्वे स्टेशन पोस्ट ऑफिस वाली गली आमेट तह.आमेट जिला राजसमन्द
अन्य–9 व सरकार

अपील नं0 **38/2012** बनाराजगी डिगरी अदालत..... **उपखण्ड अधिकारी** ..... **आमेट .....** मुकाम मुर्क्खे.....**22**.....माह.....**04**..... **2010**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**14**..... माह .....**09**..... सन् **2017** रूबरू..... पक्षकारान व हाजरी ....**श्री डालचनद जाट .....** मिनजानिब अपीलान्ट व . .....**श्री गिरीशचन्द पुरोहित** ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्याालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–4–2010 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**14.**..... माह ...**09**..... **2017** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।